APPENDIX C विद्यार्थी को बहिष्करण आदेश पत्र (EXCLUSION ORDER LETTER) - स्कूल जाने की अनिवार्य आयु (COMPULSORY SCHOOL AGE) के वर्ग में ना आने वाले विद्यार्थी Student Name Address SUBURB

प्रिय (Student Name)

हाल ही में हुए हमारे विचार-विमर्शों के बाद, मैंने सारी प्रासंगिक जानकारी पर पुन:विचार किया है और इस स्कूल पर आपके बहिष्करण से संबंधित एक निर्णय लिया है। मैं आपको सूचित कर रहा/रही हूँ कि निम्नलिखित कारणों के परिणामस्वरूप आपको इस स्कूल से बहिष्कृत किया जाता है:

List reasons

आपकी शिक्षा पूरी करने के लिए आपको किसी दूसरे स्कूल में भर्ती होने का अधिकार है। निम्नलिखित स्कूल या कार्यक्रम आपको उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकते हैं:

List options available

यदि किसी दूसरे स्कूल में नामांकन करने के लिए आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो कृपया स्टाफ से संपर्क करें।

School Education Act 1999 (स्कूल शिक्षा अधिनियम 1999) की धारा 95 के तहत आप इस निर्णय की समीक्षा के लिए, लिखित रूप में, Director Schools को आवेदन कर सकते हैं। समीक्षा के लिए आवेदन आपके द्वारा पत्र प्राप्ति के **सात दिनों के भीतर** किया जाना आवश्यक है।

यदि आप निर्णय की समीक्षा किए जाने का निवेदन करते हैं, तो Director Schools एक School Discipline Advisory Panel (स्कूल में अनुशासन के लिए परामर्श दल) का संगठन करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष तथा उचित कार्यविधियों का अनुसरण किया गया था। पैनल मामले पर विचार करेगा और Director Schools को रिपोर्ट करेगा जो कि आपके बहिष्करण से संबंधित अंतिम निर्णय लेगा। जब तक यह समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप इस स्कूल से बहिष्कृत रहेंगे।


पैनल पर आपकी उपस्थिति हेतु उपयुक्त समय की व्यवस्था करने के लिए आपसे संपर्क किया जाएगा। आपके पास पैनल को संबोधित करने का, पैनल द्वारा सामने रखे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देने का और उन मुद्दों को उठाने का अवसर होगा जो आपको प्रासंगिक लगते हैं। Director Schools के निर्णय के बारे में आपको तुरंत ही सूचित किया जाएगा।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या मैं आपको कोई सहायता प्रदान कर सकता/सकती हूँ, तो कृपया मुझसे संपर्क करें।

प्रिंसीपल

(date)

Cc श्रीमान/सुश्री (Insert name), Director Schools, (Name) District Education Office (जिला शिक्षा अधिकारी)



APPENDIX C EXCLUSION ORDER LETTER TO STUDENT - STUDENTS BEYOND COMPULSORY SCHOOL AGE Student Name Address SUBURB

Dear Student Name

Following our recent discussions I have reconsidered all relevant information and have made a decision regarding your exclusion from attendance at this school. I am informing you that you are to be excluded from this school for the following reasons:

List reasons

You have the right to enrol at another school in order to complete your education. The following schools or programs may provide you with a suitable alternative:

List options available

If you need any assistance with enrolment at another school please contact staff name.

You may apply, in writing, to the Director Schools for a review of this decision under Section 95 of the *School Education Act 1999*. The application for review must be made **within seven days** of your receipt of this letter.

If you request a review of the decision, the Director Schools will establish a School Discipline Advisory Panel to determine whether fair and proper procedures were followed during the decision making process. The panel will consider the matter and report to the Director Schools who will make the final decision regarding your exclusion. You will remain excluded from this school until this review process is completed.

You will be contacted to arrange a suitable time for you to attend the panel. You will have an opportunity to address the panel, to respond to questions put by panel members and to raise issues that you believe are relevant. You will be notified promptly of the Director Schools' decision.

Please contact me if you have any questions or if I can provide you with assistance.

Principal

(date)

Cc Mr/Ms (Insert name), Director Schools, (Name) District Education Office

